न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 54/2009 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. श्रीमती चमेली पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 27 ए कप्तान छुट्टन लाल मीणा कालोनी पुराना रूपबास अलवर।

..... अपीलांटा

बनाम

1. श्रीमती गुलकंदी देवी पत्नी स्व0 शिवदयाल जाति ब्राहमण। (मृतक)
2. कल्याण सहाय पुत्र स्व0 शिवदयाल जाति ब्राहमण।
3. केदार प्रसाद पुत्र स्व0 शिवदयाल जाति ब्राहमण।
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 शिवदयाल जाति ब्राहमण।
5. सुभाष पुत्र स्व0 शिवदयाल जाति ब्राहमण।
6. कपूरचंद उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 शिवदयाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पाला सब तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
7. राजकुमार उर्फ राजू पुत्र स्व0 ब्रह्मानंद जाति ब्राहमण निवासी 55 मोती नगर कालोनी अलवर।
8. कालू उर्फ उमेश पुत्र स्व0 ब्रह्मानंद जाति ब्राहमण। (मृतक)
9. भोलू उर्फ ललित पुत्र ब्रह्मानंद जाति ब्राहमण निवासी 55 मोती नगर कालोनी काली मोरी अलवर।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज0।
11. श्रीमति बिमला पुत्र स्व0 शिवदयाल पत्नी किशनचंद अमिन निवासी फमेली लाईन टीवी टावर के पास अलवर।
12. फूलवती पुत्री स्व0 शिवदयाल शर्मा पत्नी योगेशचंद शास्त्री निवासी मो0 बरेडिया पाडी अलवर।
13. श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व0 शिवदयाल पत्नी रामबाबू शर्मा निवासी मो0 खपटा पाडी अलवर।
14. श्रीमती चम्मन देव पुत्री स्व0 शिवदयाल शर्मा पत्नी नरेन्द्र कुमार मुन्सिफ कोर्ट के सामने ग्राम मुण्डावर जिला अलवर।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1.श्री दीपक कुमार सिद्ध, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री के.के.रायजादा अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–11.12.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 29.06.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ अदालत में वादी/रेस्पो0 द्वारा ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1–2 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्यारेलाल पुत्र हनूतराम कौम ब्राहमण निवासी ग्राम पाला तहसील अलवर जिला अलवर ने आराजी खसरा नंबर गत 111 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 273 हैं, वाके ग्राम पाला तहसील अलवर सब तहसील मालाखेडा जिला अलवर में वाके है, में से अपना 1/3 हिस्सा जो रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा बनती है को अपनी हकूक काश्त खातेदारी मयडोल पाल पुले वेल पेड पत्ते सहित बिल एवज 700 रूपये सात सौ रूपये में रकम लेकर वादी/रेस्पो0 1 के पति व वादी/रेस्पो0 2 लगायत 6 के पिता श्री शिवदयाल पुत्र श्री श्योनारायण ब्राहमण बोहरा निवासी पाला के नाम बयनामा तहरीर तकमील कराकर श्रीमान सब रजिस्ट्रार मालाखेडा में बयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 28.01.1961 को करा दिया मौके पर कब्जा करा दिया और तभी से वादी/रेस्पो0 शिवदयाल के साथ रहते हुये काबिज काश्तकार खातेदार चले आ रहे हैं। संवत 2015 से 2036 की खसरा गिरदावरी में दर्ज है। विवादित आराजी खसरा नंबर 111 की खरीद के वक्त शिवदयाल के यह ज्ञात नही हो सका कि प्यारे लाल ने जो खसरा नंबर 111 बेचान किया है वह कागजात में प्यारे लाल के नाम नही है और ना ही प्यारेलाल ने श्री शिवदयाल को यह बात बताई कि खसरा नंबर 111 प्यारेलाल के नाम कागजात माल में नही है लेकिन आराजी खसरा नंबर को अपना बताते हुये प्यारेलाल ने शिवदयाल को बेचान कि यह खसरा नंबर 111 उन्होंने श्री रामेश्वर से अपनी से आराजी का रामेश्वर को सात बीघा सात बिस्वा को बेचान करके पलटे में खसरा नंबर 111 की सात बीघा सात बिस्वा ली है। बयनामा श्री प्यारेलाल ने श्री शिवदयाल के नाम करा दिया। उसके बाद दिनांक 22.06.77 को श्री रामेश्वर घनश्याम व मोहनलाल ने आराजी खसरा नंबर 111 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा की रजिस्ट्री श्री प्यारेलाल के नाम करा दी। चूंकि आराजी खसरा नंबर 111 में से 1/3 हिस्सा की रजि0 प्यारेलाल पूर्व में ही श्री शिवदयाल को करा चुके थे व प्यारेलाल विबंधित थे आराजी खसरा नंबर 111 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा श्री शिवदयाल को बेचान करने के कारण व पुनः उसी खसरा नंबर 111 के उसी भाग 1/3 अजनाम पापड वाला तरफ पश्चिम उत्तर का प्यारेलाल किसी अन्य को नही बेच सकते थे। क्योंकि एस्टोपल के नियमानुसार उक्त आराजी खसरा नंबर 111 में से 1/3 की रजि0 प्यारेलाल द्वारा शिवदयाल पर थी। इस प्रकार जब दिनांक 28.01.1961 को जब श्री प्यारेलाल ने श्री शिवदयाल के नाम रजिस्ट्री कराई उस वक्त उक्त खसरा नंबर श्री प्यारेलाल का नही था। लेकिन बाद में दिनांक 22.06.1977 को उक्त खसरा नंबर व रकबा श्री रामेश्वर द्वारा प्यारेलाल के नाम रजिस्ट्री करा देने से प्यारेलाल का हो गया। उक्त खसरा नंबर 111 की रकबा 1/3 का इन्तकाल श्री शिवदयाल के नाम नही चढाया गया है। शिवदयाल का सन 2006 में देहान्त के बाद वादीगण/रेस्पो0 पक्ष में चढाया गया है। जिसका इन्तकाल भी

वादी/रेस्पो0 चढवाने के अधिकारी हैं। प्यारेलाल ने गलत तरीके से उक्त आराजी खसरा नंबर 111 के 1/3 हिस्सा की रजि0 दिनाक 28.11.77 को ब्रहमानन्द के नाम करा दी जिसका प्यारेलाल को कोई अधिकार नही था। जबकि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 115 के विबंधित था। इसलिये ब्रहमानन्द को 28.11.77 को कराई गई रजि0 शून्य व वादी/रेस्पो0 के हकूकों के बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबंदी है। जिसके तहत चढाया गया इंतकाल संख्या 155 जिसका इलम वादी/रेस्पो0 को नही हो सका गलत व निरस्त किये जाने योग्य है। ब्रहमानन्द जी का देहान्त सन 1996 में हो गया तदउपरान्त राजकुमार कालू भोलू जो कि स्व0 श्री ब्रहमानन्द के पुत्रान हैं ने बाला बाला चुपचाप से दिनांक 22.04.2009 को चमेली शर्मा के नाम रजिस्टर्ड बयनामे से बिना कब्जा के बेचान कर दिया जिसका अभी इन्तकाल दर्ज नही हुआ जो इंतकाल चमेली शर्मा प्रतिवादी/अपीलांट दर्ज करवाने की अधिकारी नही है। इस प्रकार बयनामा दिनांक 22.04.2009 शून्य व नाकाबिल पाबन्दी है। वादी/रेस्पो0 शिवदयाल के स्वर्गवास से पूर्व ही व उनके समय से काबिज काश्तकार खातेदार हैं। प्रतिवादी/अपीलांट ने नुमाईशी बयनामा कराया है।इनका कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा है और ना ही इनका कोई अधिकार विवादित आराजी पर है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 29.06.2009 को उक्त वाद में ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया केस उनके द्वारा बैयनामा रजिस्टर्ड 28.01.1961 को करा दिया, मौके पर कब्जा करा दिया तब से ही वादीगण शिवदयाल के साथ रहते हैं काबिज हैं इस आधार पर गलत तौर पर माना है। जबकि 28.01.61 को जो बयनामा प्यारेलाल द्वारा कराया गया है वह व्यक्ति उस समय काश्तकार खातेदार नही था और कागजात माल में विवादित आराजी खसरा नंबर 111 में उनके नाम का इन्द्राज भी नही था तो फिर ऐसी दशा में वह व्यक्ति बयनामा कराने के लिये अधिकृत था ही नही। अनधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा कराया गया बयनामा या कोई दस्तावेज जो स्वामी या मालिक या खातेदार नही है तो वह बयनामा कानूनन शून्य होगा। जब प्यारेलाल स्वयं काश्तकार/खातेदार एवं कब्जे में ही नही था तो फिर उसके द्वारा विवादित आराजी का कब्जा शिवदयाल को सौंपे जाने का और शिवदयाल का कब्जे में होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। दिनांक 28.01.1961 के बयनामा के आधार पर विवादित आराजी खसरा नंबर 111 का इंतकाल शिवदयाल वादीगण के पिता के पक्ष में दर्ज ही नही हुआ था जिससे स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब शिवदयाल के पक्ष में इंतकाल ही नही खुला तो फिर विवादित आराजी भूमि पर शिवदयाल का आराजी भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है साथ ही जब शिवदयाल का कब्जा ही नही था तो फिर वारिसान का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नही है। सन 1961 से 2006 तक शिवदयाल जो वादी/रेस्पो0 के पिता 45 वर्ष तक जीवित रहे उन्होंने विवादित आराजी भूमि का इंतकाल दर्ज कराने और स्वयं को खातेदार घोषित कराने की कोई कार्यवाही क्यों नही की इसका कोई स्पष्टीकरण पत्रावली पर नही था। यदि वास्तव में शिवदयाल सदभाविक केता होता तो निश्चित रूप से 45 साल की अवधि के अन्दर कार्यवाही अवश्य करते। शिवदयाल को मालूम

होते हुये अनधिकृत रूप से प्यारेलाल से बयनामा कराया है। उनके द्वारा असल बयनामा को इंतकाल के लिये प्रस्तुत ही नही किया गया। इंतकाल की प्रति पर इन्द्राज है कि बयनामा लापता है। खसरा नंबर 111 उनके द्वारा कीमत देकर नही खरीदी गई थी केवल मात्र बयनामा दिनांक 28.01.61 में अन्य खसरा नंबर खरीद के साथ दर्ज करा लिया गया था इसलिये उन्होंने कोई कार्यवाही नही की थी। प्यारेलाल उर्फ रघुनाथ दास पुत्र हनुंतराम ने विवादित आराजी भूमि का तरफ उत्तर–पश्चिम हिस्सा को जरिये बयनामा दिनांक 30.11.77 के ब्रहमानन्द पुत्र शिवदयाल को बेचान कर दिया और ब्रहमानन्द के पक्ष में इंतकाल संख्या 155 दिनाक 23.8.80 को स्वीकार फरमाया गया जिस ब्रहमानन्द का स्वर्गवास होने के बाद विरासत का इंतकाल उनके पुत्रान के पक्ष में स्वीकार किया गया। ब्रहमानन्द शर्मा व उनके पुत्रान विवादित आराजी पर काबिज काश्तकार खातेदार रहे और ब्रहमानन्द शर्मा का राजस्व अभिलेख में अंकन भी हो गया। जिस अभिलेख की जमाबंदी संवत 2039 से प्रस्तुत की गई। विवादित आराजी पर मौके पर ब्रहमानन्द के पुत्रान काबिज काश्त चले आ रहे थे और उन्होंने अपने हक व अधिकारों को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी/अपीलांटा को बेचान कर मौके पर कब्जा आराजी का दे दिया तब से मिन अपीलांटा काबिज काश्त चली आ रही है। मिन अपीलांटा के पक्ष में विवादित आराजी का इंतकाल भी दिनांक 12.06.2009 को पूर्ण जांच एवं कब्जा माना जाकर दर्ज हो चुका है। जमाबंदी हाल में भी अमल दरामद अपीलांटा के नाम का दर्ज बहैसियत खातेदार हो गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 ने कथन किया कि प्यारेलाल पुत्र हनूतराम कौम ब्राहमण निवासी ग्राम पाला तहसील अलवर जिला अलवर ने आराजी खसरा नंबर गत 111 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 273 हैं, वाके ग्राम पाला तहसील अलवर सब तहसील मालाखेडा जिला अलवर में वाके है, में से अपना 1/3 हिस्सा जो रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा बनती है को अपनी हकूक काश्त खातेदारी मयडोल पाल पुले वेल पेड पत्ते सहित बिल एवज 700 रूपये सात सौ रूपये में रकम लेकर वादी/रेस्पो0 1 के पति व वादी/रेस्पो0 2 लगायत 6 के पिता श्री शिवदयाल पुत्र श्री श्योनारायण ब्राहमण बोहरा निवासी पाला के नाम बयनामा तहरीर तकमील कराकर श्रीमान सब रजिस्ट्रार मालाखेडा में बयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 28.01.1961 को करा दिया मौके पर कब्जा करा दिया और तभी से वादी/रेस्पो0 शिवदयाल के साथ रहते हुये काबिज काश्तकार खातेदार चले आ रहे हैं। संवत 2015 से 2036 की खसरा गिरदावरी में दर्ज है। विवादित आराजी खसरा नंबर 111 की खरीद के वक्त शिवदयाल के यह ज्ञात नही हो सका कि प्यारे लाल ने जो खसरा नंबर 111 बेचान किया है वह कागजात में प्यारे लाल के नाम नही है और ना ही प्यारेलाल ने श्री शिवदयाल को यह बात बताई कि खसरा नंबर 111 प्यारेलाल के नाम कागजात माल में नही है लेकिन आराजी खसरा नंबर को अपना बताते हुये प्यारेलाल ने शिवदयाल को बेचान कि यह खसरा नंबर 111 उन्होंने श्री रामेश्वर से अपनी से आराजी का रामेश्वर को सात बीघा सात बिस्वा को बेचान करके पलटे में खसरा नंबर 111 की सात बीघा सात बिस्वा ली है। बयनामा श्री प्यारेलाल ने श्री शिवदयाल के नाम करा दिया। उसके बाद दिनांक 22.06.77 को श्री रामेश्वर घनश्याम व मोहनलाल ने आराजी खसरा नंबर 111 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा की रजिस्ट्री श्री प्यारेलाल के नाम करा दी। चूंकि आराजी खसरा नंबर 111 में से 1/3 हिस्सा

की रजि0 प्यारेलाल पूर्व में ही श्री शिवदयाल को करा चुके थे व प्यारेलाल विबंधित थे आराजी खसरा नंबर 111 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा श्री शिवदयाल को बेचान करने के कारण व पुनः उसी खसरा नंबर 111 के उसी भाग 1/3 अजनाम पापड वाला तरफ पश्चिम उत्तर का प्यारेलाल किसी अन्य को नही बेच सकते थे। क्योंकि एस्टोपल के नियमानुसार उक्त आराजी खसरा नंबर 111 में से 1/3 की रजि0 प्यारेलाल द्वारा शिवदयाल पर थी। इस प्रकार जब दिनांक 28.01.1961 को जब श्री प्यारेलाल ने श्री शिवदयाल के नाम रजिस्ट्री कराई उस वक्त उक्त खसरा नंबर श्री प्यारेलाल का नही था। लेकिन बाद में दिनांक 22.06.1977 को उक्त खसरा नंबर व रकबा श्री रामेश्वर द्वारा प्यारेलाल के नाम रजिस्ट्री करा देने से प्यारेलाल का हो गया। उक्त खसरा नंबर 111 की रकबा 1/3 का इन्तकाल श्री शिवदयाल के नाम नही चढाया गया है। शिवदयाल का सन 2006 में देहान्त के बाद वादीगण/रेस्पो0 पक्ष में चढाया गया है। जिसका इन्तकाल भी वादी/रेस्पो0 चढवाने के अधिकारी हैं। प्यारेलाल ने गलत तरीके से उक्त आराजी खसरा नंबर 111 के 1/3 हिस्सा की रजि0 दिनाक 28.11.77 को ब्रहमानन्द के नाम करा दी जिसका प्यारेलाल को कोई अधिकार नही था। जबकि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 115 के विबंधित था। इसलिये ब्रहमानन्द को 28.11.77 को कराई गई रजि0 शून्य व वादी/रेस्पो0 के हकूकों के बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबंदी है। जिसके तहत चढाया गया इंतकाल संख्या 155 जिसका इलम वादी/रेस्पो0 को नही हो सका गलत व निरस्त किये जाने योग्य है। ब्रहमानन्द जी का देहान्त सन 1996 में हो गया तदउपरान्त राजकुमार कालू भोलू जो कि स्व0 श्री ब्रहमानन्द के पुत्रान हैं ने बाला बाला चुपचाप से दिनांक 22.04.2009 को चमेली शर्मा के नाम रजिस्टर्ड बयनामे से बिना कब्जा के बेचान कर दिया जिसका अभी इन्तकाल दर्ज नही हुआ जो इंतकाल चमेली शर्मा प्रतिवादी/अपीलांट दर्ज करवाने की अधिकारी नही है। इस प्रकार बयनामा दिनांक 22.04.2009 शून्य व नाकाबिल पाबन्दी है। वादी/रेस्पो0 शिवदयाल के स्वर्गवास से पूर्व ही व उनके समय से काबिज काश्तकार खातेदार हैं। प्रतिवादी/अपीलांट ने नुमाईशी बयनामा कराया है।इनका कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा है और ना ही इनका कोई अधिकार विवादित आराजी पर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुकूल निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये।
2002 (2) डीएनजे राज. 678, 2012 (1) आर.आर.टी 692, 2010(2)आर.आर.टी 1421, आर. आर.सी 1998 पेज 349, 2009(2)आर.आर.टी 1009, 2019(1) सीजे सिविल राज. 576.

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये।
2010 डी.एन.जे (एस.सी) 527.

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2017 का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू नही होती हैं क्योंकि आदेश/डिक्री समझौता के आधार पर पारित नही है। उक्त दृष्टांतों में भूमि की किस्म रास्ता व नगरपालिका क्षेत्र में थी जो इस प्रकरण के तथ्य से भिन्न है। प्रकरण धारा

75 एल आर एक्ट से संबंधित नही है। अनेक प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के अंतिम निस्तारण के समय यथास्थिति के आदेश दिये हैं व सही ठहराये हैं।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में पेश किये गये दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं क्योंकि प्रकरण के तथ्य भी समान प्रकृति के हैं।

चूंकि प्रकरण में प्यारेलाल द्वारा 28.01.1961 में उक्त आराजीयात खसरा नंबर 111 का 1/3 अर्थात 2 बीघा 3 बिस्वा शिवदयाल पुत्र श्योनारायण को बेच दिया। यद्यपि वह उसके नाम नही थी। परन्तु 22.01.77 को प्यारेलाल ने उक्त आराजी रामेश्वर घनश्याम से क्रय कर ली। यहां इसकी वैद्यता तो मूल दावे में ही तय होगी परन्तु यहां मुख्य बिंदु कब्जे से संबंधित है। प्रथम विक्रय दिनांक 28.01.1961 को हुआ। जब एक बार विक्रय पत्र पंजीकृत हो जाता है तो कब्जा हस्तांतरण की भी अवधारणा की जाती है। पृथक से कोई कब्जा हस्तांतरित नही होता है। यह तथ्य द्वितीय हस्तांतरण से स्पष्ट हो जाता है। द्वितीय हस्तांतरण से निश्चित रूप से ही कब्जा रेस्पो0 का स्थापित हो चुका है। इस प्रकार जब कब्जा रेस्पो0 का स्थापित है एवं इसी तथ्य की विस्तृत व्याख्या बिंदुवार तहत अदालत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.06.2009 में स्पष्ट रूप से विवेचन किया है।

अतः अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर खारिज की जाती है । अधीनस्थ विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 29.06.2009 यथावत रखा जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम सीना) 11/12/19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर